ई–मेल
संख्या– 2269/चि0–3–15

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2015

विषय :– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्साधिकारियों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–4551/रा0नि0आ0अनु0–3/ 2015 दिनांक 03.10.2015 की संलग्न छायाप्रति का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जो समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय चुनाव) उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार के अधीन प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारियों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी नही लगाये जाने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लिया गया है।

3– कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय से अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–:यथोक्त

भवदीय

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 2269 (1)/चि–3–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०
पी०सी०एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष :0522-2630130(कार्यालय)
फैक्स :0522-2630115, 2630134
वेबसाइट :http://sec.up.nic.in
ईमेल :secup@up.nic.in,
secup32@gmail.com

State Election Commission
P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow
Phone : 0522-2630130 (O)
Fax : 0522-2630115, 2630134
Website: http://sec.up.nic.in
Email : secup@up.nic.in,
secup32@gmail.com

संख्या- 4551/रा0नि0आ0अनु0-3/2015 दिनांक : 03 अक्तूबर, 2015.

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश ।

महोदय,

कृपया राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 4394/रा0नि0आ0अनु0-3/2015 दिनांक 30 सितम्बर, 2015 जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाने के निर्देश दिये गये हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन ने आयोग से अनुरोध किया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को भी चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाय अन्यथा जनपदों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जायेगा । प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के इस अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त आयोग ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जायेगी । कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

03/10/2015

(जय प्रकाश सिंह)
अपर निर्वाचन आयुक्त

JS (VMS)
Pl circulate to DG, MD & all CMOs/ADs
3/10

तत्काल
अनुसचिव/अनु-3
4-10-15

अनु-3
5-10-15

श्री त्रिपाठी
5.10.2015